कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

अपील संख्या 677/2020 अशोककुमार नैनावत बनाम सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में दिए गए निर्णय दिनांक 05.08.2020 के संबंध में प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन को अभिलेख एवं संबंधित सेवा नियमों की स्थिति के संबंध में देखा गया।

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने आदेश दिनांक 05.08.2020 में प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अपील के अनुग्लनक 5 को विधि अनुसार/नियमानुसार निस्तारित करते हुए एक समुचित, आख्यात्मक आदेश पारित करें। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के अनुग्लनक 5 के अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह मांग की गई है कि अपीलार्थी को आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/बी–2/45002/डीपीसी 2019–20/पदस्थापन/2019(3–339) दिनांक 21.06.2019 के द्वारा प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए पदस्थापन राउमावि, मथुरागिरि समाधि कपूरिया बापिणी(लोहावट–जोधपुर) में पदस्थापन किया गया था, उक्त आदेश में उनके नाम, श्रेणी, पदस्थापन स्थान में रही अशुद्धियों का सुधार कर पदोन्नति पर कार्यग्रहण करवाया जावे तथा आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/डीपीसी–2019–20/पदस्थापन/पदो.परि. 187 में पदोन्नति परित्याग करने वाले कार्मिकों की सूची से उनका नाम हटाया जावे।

माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 05.08.2020 एवं अपील के अनुग्लनक 5 में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में की गई मांग का संबंधित नियमों एवं अभिलेखों के अनुसार गहनतापूर्वक परीक्षण एवं मनन किया गया। अभिलेखीय स्थिति के अनुसार श्री अशोककुमार नैनावत को द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद की राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची अवधि 1996–97 के वरिष्ठता क्रमांक 3064(2), तत्समय अनुसूचित जाति का विवरण अंकित नहीं होने के कारण, के आधार पर प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान की चयन वर्ष 2010–11 में निर्धारित अनारक्षित रिक्तियों के प्रति डीपीसी से चयनोपरान्त प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी। चूंकि श्री नैनावत अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अतः श्री नैनावत प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान की चयन वर्ष 2010–11 में निर्धारित अनारक्षित रिक्तियों के प्रति डीपीसी से चयन हेतु पात्र नहीं बनते हैं, क्योंकि चयन वर्ष 2010–11 में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु निर्धारित रिक्तियों के प्रति अंतिम चयनित अभ्यर्थी का वरिष्ठता क्रमांक 1356 अवधि 1995–96 रहा है। नियमानुसार श्री नैनावत प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान की चयन वर्ष 2013–14 में वरिष्ठतानुसार अनुसूचित जाति वर्ग हेतु निर्धारित रिक्तियों के प्रति चयन के पात्र बनते हैं। अतः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–ओए/रिव्यू राज.विज्ञान/शिड्यूल I/अशोक नैनावत/2019 दिनांक 18.11.2020 के द्वारा श्री नैनावत का प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान की चयन वर्ष 2010–11 में अनारक्षित रिक्तियों के प्रति त्रूटिपूर्ण चयन निरस्त करने एवं पात्र चयन वर्ष 2013–14 में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु निर्धारित रिक्तियों के प्रति नियमानुसार एवं वरिष्ठतानुसार चयन करने हेतु रिव्यू डीपीसी के प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। श्री नैनावत प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान की पात्र चयन वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के प्रति नियमानुसार एवं वरिष्ठतानुसार चयन के पात्र बनने के कारण एवं प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान की चयन वर्ष 2010–11 की रिक्तियों के प्रति त्रूटिपूर्ण चयन के आधार पर प्रधानाचार्य पद की चयन वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी से चयनोपरान्त प्राप्त पदोन्नति पाने के नियमानुसार अधिकारी नहीं बनते हैं। उक्त स्थितियों के आधार पर आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/बी–2/45002/डीपीसी–2019–20/पदस्थापन/2019 दिनांक 03.11.2020 द्वारा पूर्व में श्री नैनावत का प्रधानाचार्य पद पर जारी विभागीय पदस्थापन आदेश दिनांक 21.06.2019 को श्री नैनावत की हद तक प्रत्याहरित भी किया जा चुका है। श्री नैनावत का प्रधानाचार्य पद की चयन वर्ष

2019–20 की रिक्तियों के प्रति किया गया त्रूटिपूर्ण चयन निरस्त करने हेतु रिव्यू डीपीसी के प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु भिजवाये जा रहे हैं।

अतः अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत तथ्यों का अभिलेखीय एवं नियमों की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में गहनतापूर्वक परीक्षण, मनन एवं विचारण करने के उपरांत अधोहस्ताक्षकर्ता इस निष्कर्ष पर पहूंचे हैं कि अपीलार्थी प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान की पात्र चयन वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के प्रति नियमानुसार एवं वरिष्ठतानुसार चयन के पात्र बनने के कारण एवं प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान की चयन वर्ष 2010–11 की रिक्तियों के प्रति त्रूटिपूर्ण चयन के आधार पर प्रधानाचार्य पद की चयन वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी से चयनोपरान्त प्राप्त पदोन्नति पाने के नियमानुसार अधिकारी नहीं बनने तथा प्रधानाचार्य पद पर जारी विभागीय पदस्थापन आदेश दिनांक 21.06.2019 को श्री नैनावत की हद तक प्रत्याहरित किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 21.06.2019 में आवश्यक अशुद्धि सुधार किये जाने एवं प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति पर कार्यग्रहण करवाने सम्बंधी की जा रही मांग नियमानुसार स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकृत की जाकर अभ्यावेदन खारिज किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
I.A.S.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/बी–2/ अपील संख्या–277/अशोक नैनावत/2020 दिनांक 1/11/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
2 संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3 उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
4 संबंधित संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) जयपुर
5 जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक–विधि) जयपुर
6 अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग/संस्थापन एबी अनुभाग, कार्यालय हाजा
7 संबंधित अपीलार्थी श्री अशोककुमार नैनावत व्याख्याता(राज.विज्ञान) राउमावि, आगर(थानागाजी–अलवर) (रजिस्टर्ड)
8 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर